अध्याय 1

परिचय

बच्चे समाज में सबसे संवेदनशील एवं असुरक्षित वर्ग हैं इसलिए उन्हें उनकी भलाई और समग्र विकास के लिए वयस्कों द्वारा देखभाल की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत वयस्कों पर निर्भरता बच्चों के लिए घर में और बाहर दुर्व्यवहार के प्रति उनकी लड़ाई में चुनौतियाँ उत्पन्न करती है। देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे (सीएनसीपी) वे हैं जो बेघर हैं, भीख मांगते हुए पाये जाने वाले, सड़क पर रहने वाले, मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग, अनाथ, तस्करी या यौन शोषण, नशीली दवाओं/मादक द्रव्यों के सेवन करने वाले और ऐसे अन्य बच्चे। 'कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे' का तात्पर्य उन बच्चों से है जो अपराध करने के संदेह/आरोपी होने के कारण न्याय प्रणाली के संपर्क में आते हैं।

बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2013 में प्रावधान है कि राज्य सरकार विशेष सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के हकदारी और अधिकारों को सुरक्षित करने हेतु विशेष सुरक्षा उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। बाल अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन को सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार (भा.स.) ने विभिन्न कानून बनाए, जैसे बाल एवं यौन अपराध संरक्षण अधिनियम, 2012; दत्तक विनियम, 2017; बाल श्रम अधिनियम, 1986; बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006; अनैतिक व्यापार अधिनियम, 1987; नि:शुल्क एवं प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, (किशोर न्याय अधिनियम) 2000 (किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के रूप में संशोधित जो जनवरी 2016 से लागू हुआ। भारत सरकार ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 को लागू करने के लिए किशोर न्याय मॉडल नियम 2016 भी बनाए। कठिन परिस्थितियों में बच्चों के साथ-साथ अन्य असुरक्षित बच्चों के लिए एक सुरक्षात्मक वातावरण बनाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने 2009 में (2014 में संशोधित) सरकार-नागरिक समाज भागीदारी के माध्यम से एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य 'देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों' तथा 'कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों' दोनों की सुरक्षा करना था।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी), भारत सरकार और महिला एवं बाल विकास विभाग (डीडब्ल्यूसीडी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के बीच हस्ताक्षर किए गए (मार्च 2010) समझौता ज्ञापन (समझौता ज्ञापन) के अनुसार दिल्ली में आईसीपीएस के कार्यान्वयन के लिए

दिल्ली में डीडब्ल्यूसीडी, रा.रा.क्षे.दि.स. नोडल विभाग था। डीडब्ल्यूसीडी सीएनसीपी की गुणवत्ता मानकों के अनुसार, देखभाल और संरक्षण के लिए ज़िम्मेदार है।

आईसीपीएस में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में योजना के कार्यान्वयन के लिए मौलिक इकाई के रूप में दो राज्य स्तरीय वितरण संरचनाएं जैसे राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (एससीपीएस) और राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी (एसएआरए) स्थापित करने का प्रावधान है।

राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (एससीपीएस) और राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी (एसएआरए) की संरचना **चित्र 1.1** में दी गई है।

चित्र 1.1: राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (एससीपीएस) और राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी (एसएआरए)

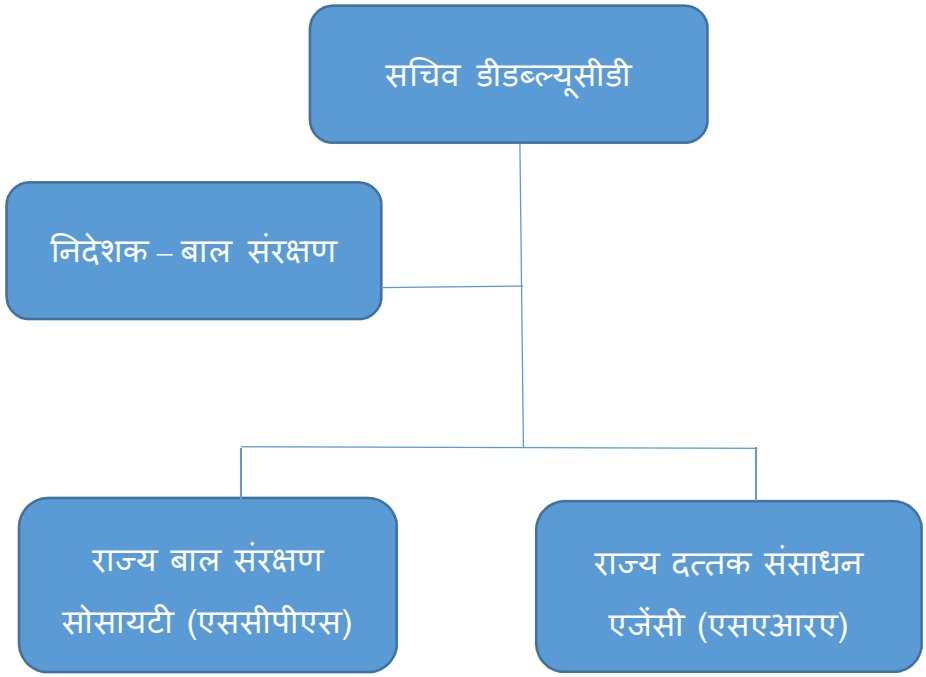

आईसीपीएस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक मौलिक इकाई के रूप में प्रत्येक जिले में एक ज़िला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) की स्थापना की परिकल्पना करता है। ज़िला बाल संरक्षण इकाइयों (डीसीपीयू) की संरचना **परिशिष्ट I** में दी गई है।

सीएनसीपी को ये सेवाएं प्रदान करने की गतिविधियां राज्य और ज़िला दोनों स्तरों पर विभिन्न संस्थानों के माध्यम से निष्पादित की जाती हैं, जिनके कार्य[1] नीचे दिए गए हैं:

[1] जैसा कि आईसीपीएस दिशानिर्देशों, किशोर न्याय अधिनियम और किशोर न्याय मॉडल नियमों में परिकल्पित है।

आईसीपीएस के तहत विभिन्न संस्थानों के कार्य

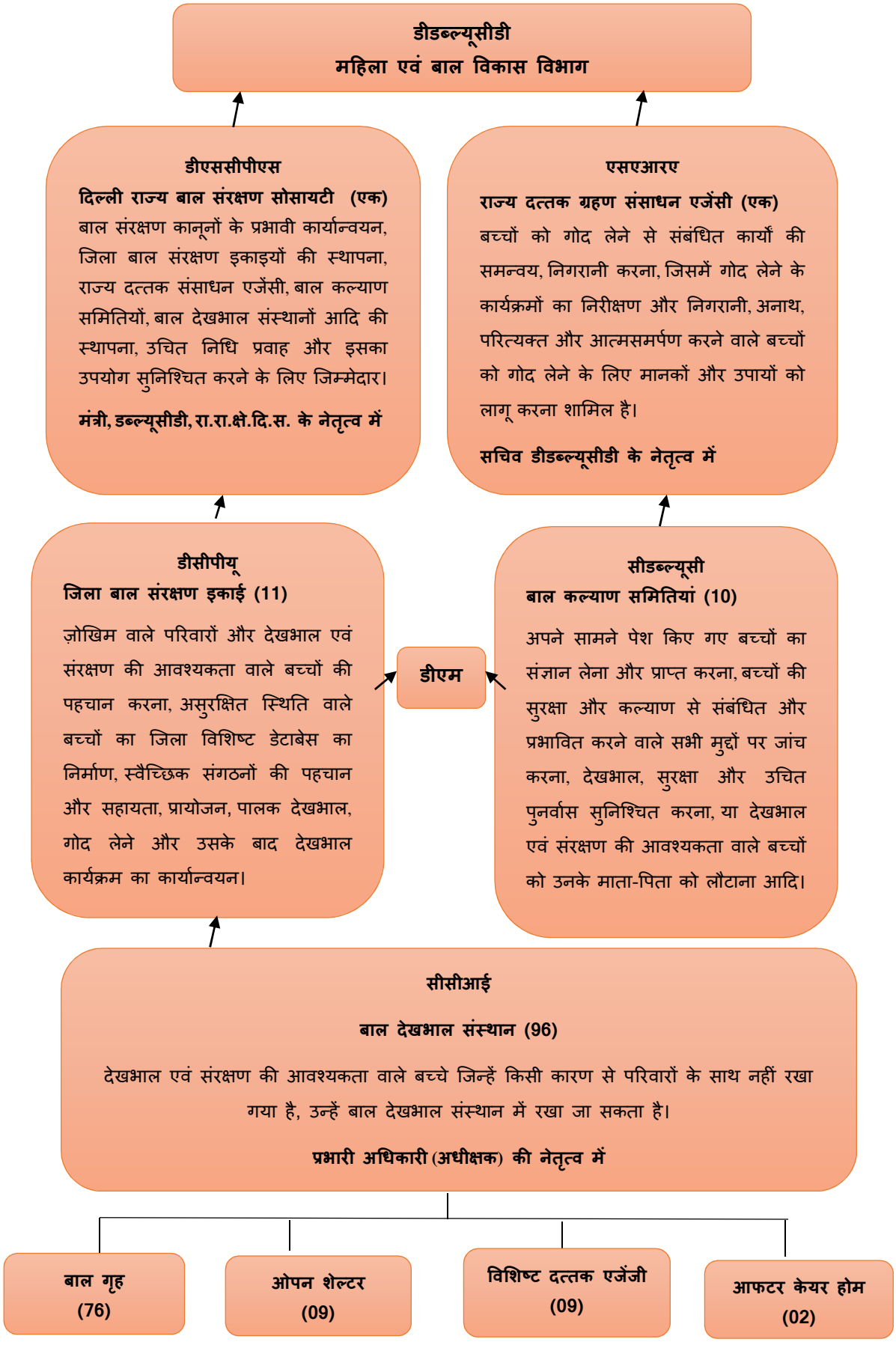

लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, कवरेज और क्रियाविधि

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह देखना था कि क्या सरकार ने देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रभावी देखभाल, सहायता और पुनर्वास सेवाएं प्रदान की थी और क्या बाल देखभाल संस्थान कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे थे और एक मजबूत निगरानी तंत्र मौजूद था। इस लेखापरीक्षा ने दिल्ली में सीएनसीपी के कल्याण के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा उठाए गए कदमों को सम्मिलित किया लेकिन 'कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों' को शामिल नहीं किया।

लेखापरीक्षा ने डीडब्ल्यूसीडी के अप्रैल 2018 से मार्च 2021 तक के तीन वर्षों के अभिलेखों की जांच की तथा कुछ अन्य संस्थानों की नमूना जांच भी की जो दिल्ली में देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को सेवाएं प्रदान कर रहे थे। चयनित संस्थान निम्नलिखित थे-

- दिल्ली राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी (डीएससीपीएस) और विशिष्ट दत्तक संसाधन एजेंसी (एसएआरए)
- 11 ज़िला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) में से चार[2]
- 10 बाल कल्याण समितियां (सीडब्ल्यूसी) में से चार[3]
- पंद्रह बाल देखभाल संस्थान (सरकार और सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित 44 में से) जिसमें नौ बाल गृह, दो ओपन शेल्टर, दो विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियां और दो आफ्टर केयर होम शामिल हैं, जैसा कि **परिशिष्ट II** में वर्णित है।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए 20 दिसंबर 2021 को विशेष सचिव-सह-निदेशक (डब्ल्यूसीडी), रा.रा.क्षे.दि.स. के साथ एक्ज़िट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। सरकार से प्राप्त जवाब को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

[2] डीसीपीयू-I (मध्य), डीसीपीयू-II (उत्तर-पूर्व और शाहदरा), डीसीपीयू-III (दक्षिण), और डीसीपीयू-V (उत्तर)

[3] सीडब्ल्यूसी-II (दक्षिण), लाजपत नगर, सीडब्ल्यूसी-III (मध्य), किंग्सवे कैंप, सीडब्ल्यूसी-V (उत्तर पूर्व और शाहदरा), दिलशाद गार्डन और सीडब्ल्यूसी- एक्स (उत्तर), अलीपुर